

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 2018/फाल्गुन 23, 1939

No. 94]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 2018/PHALGUNA 23, 1939

# बैंक ऑफ महाराष्ट्र

# (प्रधान कार्यालय : पुणे)

# अधिसूचना

पुणे, 1 मार्च, 2018

- फा. सं. एएक्स1/एसटी/ओएसआर/1324/2017-18.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक मंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ एतद् द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा विनियमावली, 1979 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियमावली बनाई है, अर्थात्-
  - 1. (1) ये विनियम बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2017 कहलाएंगे।
    - (2) इन्हें नवंबर 2007 के पहले दिन से लागू माना जाएगा, इन विनियमों में अन्यथा उल्लेख किए गए को छोड़कर।
  - 2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा विनियमावली, 1979 में (इसके पश्चात् उक्त विनियमावली के रूप में संदर्भित), विनियम 3 में
    - і. खंड (एफ) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातु
      - '(एफ) "परिवार" से तात्पर्य अधिकारी की पत्नी/ पित, पूरी तरह से आश्रित अविवाहित संतान (सौतेली संतान व विधिक रूप से दत्तक ली गई संतान सहित), शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता वाले भाई या बहन तथा सामान्यत: अधिकारी के साथ रहने वाले व पूर्ण रूप से आश्रित माता-पिता।
      - स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजन के लिए संतान या माता-पिता या शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन उस अधिकारी पर आश्रित माना जाएगा यदि ऐसी संतान, माता-पिता, भाई या बहन की मासिक आय प्रति माह रु. 3500/- से अधिक न हो।

1474 GI/2018 (1)

बशर्ते कि यदि माता-पिता में से किसी एक की आय प्रति माह रु. 3500/- से अधिक हो जाती है या माता-पिता दोनों ही की कुल आय प्रति माह रु. 3500/- से अधिक होती है तो, माता-पिता दोनों को ही अधिकारी पर पूरी तरह से आश्रित नहीं माना जाएगा।'

- ii. खंड (ओ) हटा दिया जाएगा।
- 3. उक्त विनियमावली के विनियम 4 में
  - i. उप विनियम (4ए) को हटा दिया जाएगा,
  - іі. उप विनियम (4ए) को हटा दिए जाने के बाद, निम्नलिखित उप विनियम को जोड़ा जाएगा, अर्थात
    - "(5) 01 नवंबर, 2007 से प्रभावी, प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार लागू होंगे–
    - क. शीर्ष कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान VI = रु.42000 - 1200/4 - 46800

ख. वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान 
$$V = \sqrt{5.36200 - 1000/2 - 38200 - 1100/2 - 40400}$$

ग. मध्य प्रबंधन श्रेणी

**घ**. कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान 
$$I = \sqrt{5.14500 - 600/7 - 18700 - 700/2 - 20100 - 800/7 - 25700}$$

स्पष्टीकरण - प्रत्येक अधिकारी जो 31 अक्तूबर, 2007 को लागू वेतनमान द्वारा शासित है, उसे प्रक्रमवार 01 नवंबर, 2007 को इस उप विनियम में निर्धारित किए गए वेतनमान में नियतन किया जाएगा, अर्थात् संबंधित वेतनमान में पहले प्रक्रम से तदनुरूपी प्रक्रमों के अनुसार किया जाए और जहां अन्यथा उपबंधित न हो, वेतनवृद्धि हमेशा की भांति वर्ष पुरा होने की तारीख को देय होगी।

- (6) उप-विनियम (1), (2), (3), (4) और (5) की किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है।"
- 4 उक्त विनियमावली के विनियम 5 में
  - क. उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम, प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -
    - "(1) विनियम 4 के उप-विनियम (5) के उपबंधों के अध्यधीन, 01 नवंबर 2007 को तथा उसके बाद से, वेतनवृद्धियां निम्नलिखित के अध्यधीन प्रदान की जाएगी, अर्थात्-
    - (क) विनियम 4 के उप-विनियम (5) में उपवर्णित विभिन्न वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन वार्षिक आधार पर दी जाएंगी तथा उस माह के पहले दिन पर दी जाएंगी जिसमें यह देय होती है।

एक और अवरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे,

(ख) किनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान श्रेणी । के अधिकारी, जो कि उच्च वेतन के अधिकतम पर पहुंच जाने के उपरांत मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान ॥ के वेतनमान पर पहुंच गए हैं, वे अपनी सेवा के प्रत्येक तीन पूर्ण वर्षों हेतु चार अवरोध वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होंगे, जिसमें से पहली दो वेतनवृद्धियां प्रत्येक रु. 800/- तथा आगामी दो वेतनवृद्धियां प्रत्येक रू. 900/- होंगी - बशर्ते कि जिन अधिकारियों ने 01 नवंबर, 2007 को दूसरे अवरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के पश्चात् तीन वर्ष या इससे अधिक वर्ष पूर्ण किए हैं, वे 01 नवंबर, 2007 को तीसरी अवरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे तथा 01 नवंबर, 2008 को या उसके पश्चात् दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि पाने के पश्चात् उनके छह वर्षों के पूर्ण होने पर

(ग) मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान श्रेणी ॥ के अधिकारी, जो कि उच्च वेतन के अधिकतम पर पहुंच जाने के उपरांत मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान ॥। के वेतनमान पर पहुंच गए हैं, वे अपनी सेवा के तीन पूर्ण वर्षों हेतु प्रत्येक रू.900/- की तीन अवरोध वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होंगे –

बशर्ते कि जिन अधिकारियों ने 01 नवंबर, 2007 को पहले अवरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के पश्चात् तीन वर्ष या इससे अधिक वर्ष पूर्ण किए गए हैं, वे 01 नवंबर, 2007 से लागू अगली अवरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे तथा 01 नवंबर, 2008 को या उसके पश्चात् पहली अवरोध वेतनवृद्धि पाने के पश्चात् उनके छह वर्षों के पूर्ण होने पर आगामी अवरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे।

बशर्ते यह भी कि मध्य प्रबंधन वेतनमान श्रेणी ॥ में नियुक्त या पदोन्नत हुए अधिकारी, प्रत्येक तीन वर्षों की सेवा पूरी होने पर प्रत्येक रु.900/- की चार अवरोध वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होंगे

बशर्ते यह भी कि वे अधिकारी जिन्होंने पहले ही दो अवरोध वेतनवृद्धियां प्राप्त की हैं तथा 01 नवंबर, 2007 को दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के पश्चात् सेवा के तीन वर्षों से अधिक पूर्ण किए है, वे 01 नवंबर, 2007 को तीसरी अवरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे तथा चौथी अवरोध वेतनवृद्धि, 01 नवंबर, 2008 को या उसके पश्चात् दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि पाने के पश्चात् छह वर्षों के पूर्ण होने पर प्राप्त होगी।

स्पष्टीकरण – इस उप-विनियम के अंतर्गत अगले उच्च वेतनमान में इस प्रकार वेतनवृद्धियों की मंजूरी पदोन्नति नहीं मानी जाएगी तथा अधिकारी के विशेषाधिकार, परिलब्धियां, कर्तव्य तथा जिम्मेदारी उनके मूल पदों के अनुसार जारी रहेगी।

## ख. उप-विनियम (2) में -

(i) स्पष्टीकरण में, खंड (ई) के पश्चात् तथा नोट के पहले, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे अर्थात् – "(एफ) नवंबर, 2007 के पहले दिन तथा उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यवसायिक अर्हता वेतन की मात्रा निम्नानुसार संशोधित होगी –

वे जिन्होंने जेएआईआईबी या	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष
सीएआईआईबी उत्तीर्ण किए हैं।	पश्चात् प्रति माह रु.410/-
वे जिन्होंने सीएआईआईबी के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं।	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् प्रति माह रु.410/- (ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर दो वर्ष पश्चात् प्रति माह रु.1030/-

बशर्ते कि वह अधिकारी जो वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के बाद जेएआईआईबी या सीएआईआईबी (एक या दोनों भाग) अर्हता प्राप्त करता है, व्यावसायिक अर्हता वेतन की पहली किश्त इस प्रकार की अर्हता प्राप्त करने की दिनांक से मंजूर की जाएगी तथा व्यावसायिक अर्हता वेतन की आगामी किश्तों का जारी होना, व्यावसायिक अर्हता वेतन की पहली किश्त के जारी होने के दिनांक से संदर्भित होंगे –

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामले जिनमें अधिकारी, जिसने पहले ही उपर्युक्त में से कोई एक अर्हता प्राप्त कर ली है तथा इस प्रकार के अर्हता प्राप्त करने के कारण कोई वेतनवृद्धि या व्यावसायिक अर्हता वेतन नहीं लिया है, उसे 01 नवंबर, 2007 से या इस प्रकार के अर्हता/ अर्हताएं प्राप्ति के दिनांक, जो भी बाद में हो, से व्यावसायिक अर्हता वेतन मंजूर किया जा सकता है।"

- (ii) नोट में, खंड (v) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात-
  - "(v) यदि किसी अधिकारी द्वारा, 27 अप्रैल, 2010 को पहले ही उक्त अर्हताओं में से खंड (iv) में संदर्भित अर्हता प्राप्त की है तथा इस प्रकार के अर्हता लेने के कारण कोई वेतनवृद्धि या व्यावसायिक अर्हता वेतन प्राप्त नहीं किया है, उसे नवंबर, 2007 के पहले दिन से प्रभावी या इस प्रकार के अर्हता/ अर्हताएं प्राप्ति के दिनांक में से जो भी बाद में हो, व्यावसायिक अर्हता वेतन मंजूर किया जा सकता है।"
- (iii) उप-विनियम (3) में,-
- (i) खंड (डी) के बाद तथा नोट के पहले, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात् : -
  - "(ई) 01 नवंबर, 2007 को तथा इस दिनांक से, अन्य बातें समान रहने पर, मकान किराया भत्ता के साथ निर्धारित वैयक्तिक वेतन निम्नलिखित दर पर होगा तथा सेवा की संपूर्ण अवधि के लिए स्थिर रहेगा:-

वेतनवृद्धि घटक रु.	वेतनवृद्धि घटक पर 01.11.2017 को महंगाई भत्ता रु.	जहां बैंक द्वारा निवास उपलब्ध कराए गए हैं वहां कुल निर्धारित व्यक्तिगत वेतन देय रु.
ए	बी	सी
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394",

- (ii) नोट में, खंड (i) तथा (ii) के लिए, निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
  - "(i) निर्धारित वैयक्तिक भत्ता या निर्धारित वैयक्तिक वेतन खंड (बी), (सी), (डी) या (ई) के अंतर्गत तालिका के कॉलम (सी) के अंतर्गत दर्शाए अनुसार उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का निवास प्रदान किया गया है।
  - (ii) मकान किराया भत्ता हेतु पात्र अधिकारियों के लिए निर्धारित वैयक्तिक भत्ता या निर्धारित वैयक्तिक वेतन विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4) या (5) में विनिर्दिष्ट अनुसार संबंधित वेतनमान की अंतिम

वेतनवृद्धि अर्जित करने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा आहरित मकान किराया भत्ता तथा खंड (ई) के अंतर्गत तालिका (ए) तथा (बी) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समग्र राशि होगी";

- (iii) नोट के पश्चात् घटित खंड (ई) को उप-खंड (v) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खंड (v) हेतु निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
- "(v) कोई अधिकारी जिसने उपर्युक्त खंड (ए) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त की है वह उपर्युक्त खंडों (बी), (सी), (डी) या (ई) में उल्लेख किए गए अनुसार, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात्, निर्धारित वैयक्तिक भत्ता/ निर्धारित वैयक्तिक वेतन की मात्रा आहरित करेगा";

# iii. उक्त विनियमावली के विनियम 21 में, -

- (i) उप-विनियम (3) में, नोट निकाल दिया जाएगा;
- (ii) उप-विनियम (4) में, नोट निकाल दिया जाएगा;
- (iii) उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम तथा नोट जोड़े जाएंगे, अर्थात् -
- "(5) नवंबर, 2007 को तथा इस दिनांक से, महंगाई भत्ता ऑल इंडिया एवरेज वर्किंग क्लास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (जनरल) आधार 1960=100 वेतन का 0.15% के तिमाही औसत में 2836 अंकों पर चार अंकों की प्रत्येक बढ़ोतरी या गिरावट के लिए देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए –

- (क) महंगाई भत्ते के प्रयोजन के लिए "वेतन" से अवरोध वेतनवृद्धियों सहित मूल वेतन अभिप्रेत है;
- (ख) महंगाई भत्ते के लिए विनियम 5 के उप विनियम (2) के स्पष्टीकरण (ग), (घ), (ङ) और (च) में उल्लिखित अनुसार व्यावसायिक योग्यता या व्यावसायिक योग्यता भत्ते का भुगतान किया जाए।
- 6. उक्त विनियमावली के विनियम 22 के उप विनियम (1) व (2) के लिए निम्नलिखित उप विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -
  - "(I) नवंबर, 2002 के प्रथम दिन को और उससे,
    - (क) जहां बैंक द्वारा अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वहां वेतनमान के स्केल के प्रथम चरण के मूल वेतन के 1.75 प्रतिशत के बराबर या आवासीय सुविधा के लिए मानक किराया, इसमें से जो भी कम हो, की वसूली उससे की जाएगी;
    - (**ख**) जहां बैंक द्वारा अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, वहां वह निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित दर के आधार पर आवासीय किराया भत्ता के लिए पात्र होगा, अर्थात्:

कार्य करने का स्थान	देय एचआरए
(1)	(2)
(i) प्रमुख "ए" श्रेणी शहर और समूह ए में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8.5%
(ii) क्षेत्र I के अन्य स्थान और समूह बी में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

अधिकारी द्वारा किराया रसीद प्रस्तुत किए जाने पर, उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) के अनुसार देय आवास किराया भत्ता के अधिकतम 150 प्रतिशत के साथ उसकी तैनाती के स्थान के वेतन के स्केल के प्रथम चरण में वेतन के 1.75 प्रतिशत से अधिक की आवासीय सुविधा के लिए उसे देय आवास किराया भत्ता उसके द्वारा दिया गया वास्तविक किराया होगा।

- (2) नवंबर 2007 के प्रथम दिन को और उससे -
  - (क) जहां बैंक द्वारा अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वहां वेतनमान के स्केल के प्रथम चरण के मूल वेतन के 1.20 प्रतिशत के बराबर या आवासीय सुविधा के लिए मानक किराया, इसमें से जो भी कम हो, की वसुली उससे की जाएगी;
  - (ख) जहां बैंक द्वारा अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, वहां वह निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित दर के आधार पर आवासीय किराया भत्ता के लिए पात्र होगा, अर्थात्:

## तालिका

कार्य करने का स्थान	देय एचआरए
(1)	(2)
(i) प्रमुख "ए" श्रेणी शहर और समूह ए में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8.5%
(ii) क्षेत्र l के अन्य स्थान और समूह बी में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

अधिकारी द्वारा किराया रसीद की प्रस्तुति के अधीन, उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) के अनुसार देय आवास किराया भत्ता के अधिकतम 150 प्रतिशत के साथ उसकी तैनाती के स्थान के वेतन के स्केल के प्रथम चरण में वेतन के 1.20 प्रतिशत से अधिक की आवासीय सुविधा के लिए उसे देय आवास किराया भत्ता उसके द्वारा दिया गया वास्तविक किराया होगा।

नोट – अपने आवास के स्वामित्व की लागत से लिंक आवास किराया भत्ता के लिए अधिकारियों के दावे भी अब तक के आवास किराया भत्ता के 150 प्रतिशत तक सीमित है";

- 7. उक्त विनियमावली के विनियम 23 में,
- (i) उप विनियम (1) में "नवंबर 2002 के प्रथम दिन", के आंकड़े, अक्षर और शब्द को आंकड़े, अक्षर और शब्द "नवंबर 2007 के प्रथम दिन" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) उप विनियम (2) में "नवंबर 2002 के प्रथम दिन", के आंकड़े, अक्षर और शब्द को आंकड़े, अक्षर और शब्द "नवंबर 2007 के प्रथम दिन" से प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (iii) उप विनियम (3), (4) और (5) के लिए निम्नलिखित उप विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -
  - '(3) नवंबर, 2007 के प्रथम दिन को और उससे अगर कोई अधिकारी समूह ए या समूह बी के अंतर्गत निर्दिष्ट परियोजना क्षेत्र में सेवारत है, तो वह समूह ए या समूह बी के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र के अनुसार रु. 290 प्रति माह या रु. 255 प्रति माह की दर पर परियोजना क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता के लिए पात्र होगा।
  - (4) नवंबर, 2007 के प्रथम दिन को और उससे अगर किसी अधिकारी का शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है और अगर उसके एक या अधिक बच्चे पिछले स्थान के स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वह बाद के स्थान में रिपोर्ट करने के दिनांक से लेकर शैक्षणिक वर्ष के अंत तक सभी बच्चों के संबंध में रु.700 प्रति माह मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता के लिए पात्र होगा, अगर सभी बच्चे पुराने स्थान पर पढ़ना बंद कर देते हैं तो यह भत्ता बंद हो जाएगा।

(5) मई, 2010 के प्रथम दिन को और उससे अगर किसी अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा देने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वह प्रतिनियुक्ति के स्थान से संबद्ध परिलब्धियों को प्राप्त कर सकता है, या अधिकतम रु. 2300 प्रति माह के अधीन 7.75 प्रतिशत की दर से अपने वेतन के अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त कर सकता है तथा बैंक की सेवा में उस स्थान पर तैनात रहने पर मिलने वाले ऐसे अन्य भत्ते को आहरित कर सकता है:

अपनी प्रतिनियुक्ति के ठीक पहले के तैनाती स्थान पर ही किसी संस्था में प्रतिनियुक्त होने पर, उसे अधिकतम रु.1200 प्रति माह के अधीन उसके वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा:

बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति होने पर वह अधिकतम रु.1200 प्रति माह के अधीन अपने वेतन के 4 प्रतिशत की दर पर प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने हेतु पात्र होगा";

- (iv) उप विनियम (8) के लिए निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्
  - "(8) नवंबर, 2007 के प्रथम दिन को और उससे, अगर दिन के दौरान कार्यालय समय को न्यूनतम दो घंटों के अंतराल में खंडित किया जाता है, तो रु.165 प्रति माह की दर से खंडित ड्यूटी भत्ता हेतु अधिकारी पात्र होगा।";
- (v) उप विनियम (10) में -
  - (का) "नवंबर 2002 के प्रथम दिन", के आंकड़े, अक्षर और शब्द को आंकड़े, अक्षर और शब्द "नवंबर 2007 के प्रथम दिन" से प्रतिस्थापित किया जाएगा:
  - (ख) तालिका के लिए, निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्-

#### "तालिका"

豖.	स्थान (1)	दर (2)
1	1000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई लेकिन 1500 मीटर से	प्रतिमाह अधिकतम रु.550/- के अधीन
	कम के स्थान तथा मडिकेरी शहर	वेतन का 2%
2	1500 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई लेकिन 3000 मीटर से	प्रति माह अधिकतम रु.680/- के अधीन
	कम के स्थान	वेतन का 2½%
3	3000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई के स्थान	प्रतिमाह अधिकतम रु. 1570/- के अधीन
		वेतन का 5%

- 8. उक्त विनियमावली के विनियम 24 में, खंड (क) के लिए उप विनियम (1) में निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात
  - "(क) चिकित्सा व्यय नवंबर, 2007 के प्रथम दिन को और उससे, अधिकारी स्वयं और परिवार के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अनुसार दावा राशि के लिए खातों के विवरण के साथ ऐसे किए गए व्यय पर अधिकारी के स्वयं के प्रमाणपत्र के बल पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा, अर्थात् –

श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन व मध्य प्रबंधन श्रेणी	रु.5100/- या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन व शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	रु.6320/- या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो

नोट -

- (i) एक अधिकारी को न ली गई चिकित्सा सहायता के संग्रहण की अनुमति दी जा सकती है ताकि किसी भी समय उपरोक्त अधिकतम राशि से तीन गुना अधिक न हो या ;
- (ii) वर्ष 2007 के लिए चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति को दो माह यानी नवंबर, 2007 और दिसंबर, 2007 के लिए आनुपातिक रूप में बढ़ाया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस विनियम के प्रयोजनार्थ,

- (i) उन सभी मामलों में जिसमें अस्पतालीकरण की आवश्यकता होती है, अधिकारी के मामले में 100 प्रतिशत तथा उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75 प्रतिशत की सीमा तक अस्पतालीकरण प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाएगी या:
- (ii) मई, 2010 के प्रथम दिन को और उससे, इस विनियम के अंतर्गत अस्पतालीकरण व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सीमा के अधीन कर्मकार कर्मचारी के लिए द्विपक्षीय समझौता दिनांक 27 अप्रैल, 2010 के अंतर्गत निर्धारित अस्पतालीकरण योजना के नियम व शर्तों के अनुसार होगी, अर्थात् –

#### "तालिका"

क) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान ।	1) बेड प्रभार
और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान ॥ व	स्वयं – रु. 700/- प्रति दिन
III	परिवार – रु.525/- प्रति दिन
	2) अन्य प्रभार
	कर्मकार कर्मचारियों के लिए लागू अस्पतालीकरण योजना के अंतर्गत
	निर्धारित सीमा के 125% के स्केल पर
ख) वरिष्ठ प्रबंधन वेतनमान श्रेणी IV व	1) बेड प्रभार
V और शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	स्वयं – रु. 900/- प्रति दिन
वेतनमान VI व VII	परिवार – रु. 675/- प्रति दिन
	2) अन्य प्रभार
	कर्मकार कर्मचारियों के लिए लागू अस्पतालीकरण योजना के अंतर्गत
	निर्धारित सीमा के 150% के स्केल पर

- 9. उक्त विनियमावली के विनियम 25 के उप विनियम (2) के लिए निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात -
  - "(2) उप-विनियम (1) में कुछ समाहित होने पर भी, नवंबर 2007 के प्रथम दिन को और उससे तैनाती के स्थान के वेतन के स्केल के मूल वेतन के प्रथम चरण के 1.20 प्रतिशत के बराबर या आवासीय सुविधा के लिए मानक किराया, इसमें से जो भी कम हो, अधिकारी द्वारा भुगतान किए जाने पर अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का विकल्प बैंक हेत् खुला रहेगा:

अगर अधिकारी को फर्नीचर युक्त आवास उपलब्ध कराया जाता है तो तैनाती के स्थान के वेतन के स्केल के प्रथम चरण के मूल वेतन के 0.25 प्रतिशत के बराबर की अतिरिक्त वसूली उससे की जाएगी : इसके अतिरिक्त जहां आवासीय सुविधा बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाती है वहां बिजली, पानी, गैस और स्वच्छता प्रभारों का वहन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।"

- 10. उक्त विनियमावली के विनियम 36 में उप विनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम को समाहित किया जाएगा, अर्थात् –
  - "(3) मई 2010 के प्रथम दिन से प्रभावी, हिस्टेरेक्टोमी के मामले में 12 माह की समग्र अवधि के भीतर अधिकतम 45 दिनों की छुट्टी भी दी जा सकती है"
- 11. उक्त विनियमावली के विनियम 41 के उप विनियम (4) के खंड (क) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
  - '(क) विराम भत्ता मई 2010 के प्रथम दिन को और उससे, निम्नलिखित तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित श्रेणी या स्केल के अधिकारी तदनुसार कॉलम (2) में निर्धारित की गई समान दरों पर "प्रति दिन" विराम भत्ता हेतु पात्र होंगे, अर्थात् –

	141		
अधिकारियों की श्रेणी/ वेतनमान	प्रमुख 'ए' वर्ग शहर	क्षेत्र ।	अन्य स्थान
(1)	(2	2)	
	₹.	रु.	₹.
वेतनमान IV और उससे अधिक के अधिकारी	1000	800	700
वेतनमान । / ॥ / ॥ में अधिकारी	800	700	600

# तालिका

बशर्ते कि वेतनमान IV और उससे अधिक के अधिकारियों के मामलो में, चार महानगरों यथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आउटस्टेशन कार्य करते समय दिया जाने वाला विराम भत्ता, रु.1200 प्रतिदिन देय होगा और वेतनमान I या II या III में अधिकारियों के लिए, प्रति दिन विराम भत्ता रु.1000 होगा।

बशर्ते यह भी कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटों से कम है, किन्तु चार घंटों से अधिक है, उपरोक्त दरों से आधी दर पर विराम भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण- "प्रतिदिन" विराम भत्ते की गणना के प्रयोजन से, "प्रतिदिन" का अर्थ हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय और दूसरे मामलों में प्रस्थान के निर्घारित समय से आरंभ कर आगमन के वास्तविक समय तक हर चौबीस घंटे या उसका कोई भी अनुवर्ती भाग और जहां अनुपस्थिति की कुल अविध चौबीस घंटे से कम है, "प्रतिदिन" का अर्थ आठ घंटों से अनिधक अविध होगी।

- 12. उप-विनियम (3) के पश्चात् उक्त विनियमावली के विनियम 42 में, निम्नलिखित उप-विनियम प्रविष्ट किए जाएंगे, अर्थात् -
- "(4) मई 2010 के पहले दिन को और उससे स्थानांतरण वाला अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा, आदि के साथ जुड़े खर्चों के लिए एकमुश्त रकम आहरित करने के लिए पात्र होगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात् –

वेतनमान	एकमुश्त रु.
शीर्ष कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन	12000
मध्य प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन	9000

- 13. उप-विनियम (3) में उक्त विनियमावली के विनियम 44 में, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थात् -
- "बशर्ते कि 1 मई 2010 से, किनष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान । का कोई अधिकारी, छुट्टी यात्रा रियायत का उपयोग करते समय, न्यूनतम किराया **इकॉनॉमी क्लास** में **हवाई** यात्रा करने **हेतु पात्र** होगा, इस मामले में प्रतिपूर्ति वास्तविक किराया होगा या वह किराया होगा जो दूरस्थ यात्रा के लिए ट्रेन द्वारा एसी प्रथम श्रेणी के किराए पर लागू होता है, जो भी कम हो, और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान ॥ और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान ॥ और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान ॥ के किसी अधिकारी को भी छुट्टी यात्रा रियायत के समान नियम लागू होंगे, जहां 1000 कि.मी. से कम दूरी हो।"
- 14. उक्त विनियमावली के विनियम 45 में, -
- (i) उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थात् -
- ''बशर्ते कि अप्रैल 2010 के पहले दिन को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में कार्य ग्रहण करने वाले अधिकारियों को कोई भविष्य निधि नहीं होगी।"
- (ii) उप-विनियम (3) में, खंड (बी) के पश्चात् और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात् -
- "(सी) अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत अधिकारी जो पेंशन योजना के लिए विकल्प नहीं लेते हैं, वे अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत बने रहेंगे।"
- (iii) उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात् -
- "(4) अप्रैल 2010 के पहले दिन या उसके पश्चात् बैंक की सेवाओं में शामिल होने वाले अधिकारियों को एक निश्चित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा, जहां अधिकारी दस प्रतिशत वेतन + महंगाई भत्ते का अंशदान करेगा और बैंक समय-समय पर यथासंशोधित 22 दिसंबर, 2003 की पीआर और भारत सरकार की अधिसूचना एफ नं. 5/7/2003-ईसीबी से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित नई पेंशन योजना के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसार योगदान की समान राशि प्रदान करेगा।"
- 15. उक्त विनियमावली की अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -
- "बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारियों) सेवा विनियमावली, 1979 की अनुसूची (विनियम 23 का उप-विनियम (2) देखें)
- नवंबर, 2007 के पहले दिन से, कोई अधिकारी विशेष क्षेत्र (स्पेशल एरिया) भत्ते के लिए उस समय तक पात्र होगा जब तक कि वे पूरी तरह या आंशिक रूप से संशोधित किए गए हों या आहरित किए गए हों, जैसा कि नीचे तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात्

豖	क्षेत्र	भत्ते रु.	
		रु.14700/- के नीचे देय	रु.14700/- के ऊपर देय
1	2	3	4
1	मिजोरम क) मिजोरम का चिम्पतुईपुई जिला और मिजोरम के लुंगलेई जिले में लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से बाहर के क्षेत्र	2000	2600
	ख) संपूर्ण लुंगलेई जिले में, मिजोरम के लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर	1600	2100
	ग) मिजोरम के आइजोल जिले में सर्वत्र	1200	1500
2	नागालैंड	1600	2100
3	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2000	2600

क्र	क्षेत्र	भत्ते रु.	
		रु.14700/- के नीचे देय	रु.14700/- के ऊपर देय
	क) उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान, निकोबार और नारकोंडम द्वीप समूह		
	ख) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	1600	2100
4	सिक्किम	2000	2600
5	लक्षद्वीप द्वीप-समूह	2000	2600
6	असम	320	400
7	मेघालय	320	400
8	<b>त्रिपुरा</b> क) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र	1600	2100
	ख) दुर्गम क्षेत्र छोड़कर सर्वत्र त्रिपुरा	1200	1500
9	मणिपुर	1200	1500
10	अरुणाचल प्रदेश क) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र	2000	2600
	ं ख) दुर्गम क्षेत्रों के अलावा सर्वत्र अरुणाचल प्रदेश	1600	2100
11	जम्मू और कश्मीर		
	क) कठुआ जिला :	2000	2600
	नियाबातबनी, लोही, मल्हार और मछोडी		
	ख) उधमपुर जिला : (i)    दुदूबसंतगढ़, लांदेर भामाग इलाका, भाग 2(बी) में शामिल के अलावा	2000	2600
	(ii) कंबन की ओर से गोएल तक के क्षेत्र और मोहरे तहसील में कियासी की ओर से अरनास तक के क्षेत्र	1600	2100
	ग) डोडा जिला : किश्तवाड तहसील में निबातनौगाम और पेड्डर के इलाके	2000	2600
	घ) लेह जिला : जिले के सभी स्थान	2000	2600
	ड.) बारामूला जिला (i) संपूर्ण गुरेज-निराबात, तांगडार उप-खंड और केरन इलाका	2000	2600
	(ii) मैचिल	1600	2100
	च) पुंछ और राजौरी जिला : पुंछ और राजौरी शहरों तथा सुंदरबनी को छोड़कर पुंछ और राजौरी जिले के क्षेत्र और दो जिलों के अन्य शहरी क्षेत्र।	1200	1500
	छ) उपर्युक्त मद (क) से (च) में शामिल न किए गए क्षेत्र किंतु वास्तविक नियंत्रण की रेखा या राज्य सरकार द्वारा उनके अपने स्टाफ के लिए समय-समय पर सीमा	1200	1500

क्र	क्षेत्र	भत्ते रु.	
		रु.14700/- के नीचे देय	रु.14700/- के ऊपर देय
	भत्ते के लिए अर्हता के रूप में घोषित स्थान से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर आते हों		
12	हिमाचल प्रदेश		
	(क) चंबा जिला		
	(i) पांगी तहसील, भरमौर तहसील, पंचायत : बडगांव, बजोल, देऊलकुगटी,	2000	2600
	नयागांम और टुंडा, गांव : ग्रामपंचायत जगत का घाटू, ग्रामपंचायत चौहाटा का		
	कनारसी		
	(ii) उपर्युक्त मद (i) में शामिल पंचायतों और गांवों को छोड़कर भरमौर तहसील	1600	2100
	(iii) डलहौजी शहर, चूराह तहसील, भटियाट तहसील में झंद्रू पंचायत (बनीखेत मुख्य सहित)	1200	1500
	(ख) किन्नौर जिला :		
	(i) असरांग, चितकुल और हंगोकुनो/ चरांग पंचायतें ऊपर विनिर्दिष्ट पंचायत	2000	2600
	क्षेत्रों को छोड़कर पूह उप-खंड, नाथपा और रुपी, छोटा खंबा की ग्रामपंचायतों को	2000	2000
	मिलाकर 15/20 क्षेत्र		
	(ii) उपर्युक्त (क) में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण जिला	1600	2100
	(ग) कुल्लू जिला :		
	(i) निर्मन्ड तहसील का 15/20 क्षेत्र, खरगा, कुशवार और सरगा की ग्रामपंचायतों	2000	2600
	को शामिल करते हुए		
	(ii) बाह्य सरज (निर्मन्द तहसील के बुराव और जकातखाना के गांवों को छोड़कर)	4000	4500
	और बाह्य सेरज क्षेत्र और पंद्रहबीस के परगना को छोड़कर संपूर्ण जिला किंतु निर्मन्ड तहसील के बुराव और जगतखाना गांवों को शामिल करते हुए	1200	1500
	(घ) लाहौल और स्पिति जिला:	2000	2600
	लाहौल और स्पिति का संपूर्ण क्षेत्र		
	(ड.) सिमला जिला :		
	(i) कूट, लबाना – सदाना, सरपारा और चढी-ब्रान्डा की पंचायतों को शामिल करते	2000	2600
	हुए रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र		
	(ii) दोरा-कवार तहसील, परगना सराहन का घोरीछाईबीस, मुनीश और काशापाट	1600	2100
	तहसील, रामपुर में दरकाली की ग्रामपंचायत	1000	2100
	(iii) छोपल तहसील और परगना सराहन के तीन कोटी और घोरीस, पंजगांव,	1200	1500
	पाठसनाऊ, नऊबीस, ताकलेश क्षेत्र की देओठी ग्रामपंचायत, परगना बारावीस,		
	कसबा रामपुर और रामपुर तहसील का परगना रामपुर का घोरीनोग, शिमला शहर		
	और उसके उप-क्षेत्र (धल्ली, जटोग, कसुंपटी, मशोबरा, तारादेवी और टुटू		
	(च) कांगडा जिला :	1600	2100
	(i) बड़ा भांगल और छोटा भांगल के क्षेत्र	1000	2100

丣	क्षेत्र	भत्ते रु.	
		रु.14700/- के नीचे देय	रु.14700/- के ऊपर देय
	(ii) कांगडा जिले का धर्मशाला शहर और नगर निगम की सीमाओं से बाहर स्थित किंतु धर्मशाला शहर में शामिल निम्निलिखित कार्यालय: महिला आईटीआई, दान, मेकैनिकल वर्कशॉप रामनगर, बाल कल्याण और शहर तथा देश आयोजना कार्यालय, सकोह, लोअर सकोह में सीआरएसएफ कार्यालय, कांगडा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगियार, एचआरटीसी वर्कशॉप, साधेर, आंचिलक मलेरिया कार्यालय दान, फॉरेस्ट कॉपॉरेशन कार्यालय श्यामनगर, चाय फैक्टरी दान, आईपीएच सब-डिविजन दान, निपटान कार्यालय श्यामनगर, हिनवा प्रोजेक्ट श्यामनगर। कांगडा जिले का पालमपुर शहर जिसमें पालमपुर का एचपीकेवीवी कैम्पस और इसकी नगर निगम सीमाओं से बाहर स्थित निम्निलिखित कार्यालय शामिल हैं किंतु जो पालमपुर शहर में शामिल होते हैं – एच.पी.कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, पशु संवर्धन कार्यालय/ जर्सी फार्म बनुरी, रेशम उत्पादन कार्यालय/ इंडो-जर्मन कृषि वर्कशॉप/ एचपीपीडब्ल्यूडी डिविजन, बुंडला, इलेक्ट्रिकल सब-डिविजन लोहना, डी.पी.ओ कॉपॉरेशन बुंडला, इलेक्ट्रिकल एचईएसईई डिविजन घुग्गर।	1200	1500
	(छ) मंडी जिला: जोगिंदर नगर तहसील की छूहर घाटी, बागरा, छतरी, छोटधार, गारागुस्सैन, गट्टू, गरयास, जानजेहली, जरयार, जोहार, कलहानी, कालवान, खोलनाल, लोथ, सिलीबागी, सोमाचान, थाचधार, टाची, थाना की थुनाग तहसील की पंचायतें, धरमपुर ब्लॉक की बिंगा, कामला, सकलाना, तन्यार, ताराखोला की पंचायतें, कारसोग तहसली की पंचायते – बलीधर, बागरा, गोपालपुर, खाजोल, माहोग, मेहुडी, मांज, पेखी, साइंज, सराहान और तेबान, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें, बोही, बाटवारा, धानयारा, पौराकोठी, सेन और शोजा	1200	1500
	(ज) सिरमौर जिला : बनी, बखाली, (पछाड तहसील), भारोगभेनेरी (पौटा तहसील), बिरला (नाहन तहसील), डिब्बर (पछाड तहसील) और थाना कसोगा (नाहन तहसील) और थांसगिरी ट्रैक्ट की पंचायतें	1200	1500
	(झ) सोलन जिला मंगल पंचायत	1200	1500
	(ड.) उपर्युक्त (क) से (झ) मदों में शामिल न किए गए हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र	320	400
13	उत्तराखंड चमोली, पिथोरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिले के अंतर्गत क्षेत्र	2000	2600"

# व्याख्यात्मक ज्ञापन

जिन विनियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, वे बैंकों के शीर्ष स्तरीय अधिकारियों के संगठनों और इससे संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोटों के सहमत नियमों व शर्तों के अनुसार है। अत: ऐसे पूर्वव्यापी प्रभाव द्वारा किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

> एम. ए. करजगी, उप महाप्रबंधक मानव संसाधन प्रबंधन

[विज्ञापन-III/4/असा./463/17]

नोट: - उपरोक्त विनियमाविलयों में पहले किए गए संशोधनों को भारत के राजपत्र में निम्नलिखित दिनांकों की अधिसूचना संख्या के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था -

विनियम क्र.	अधिसूचना क्र. एवं दिनांक	राजपत्र का दिनांक	
विनियम 4(3)	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/14046/96	दिनांक 05.05.1997	17.05.1997
विनियम 5	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/14046/96	दिनांक 05.05.1997	17.05.1997
विनियम 21(2)	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/14046/96	दिनांक 05.05.1997	17.05.1997
विनियम 22(1)	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/3169	दिनांक 19.05.2001	16.06.2001
विनियम 22(2)	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/3169	दिनांक 19.05.2001	16.06.2001
विनियम 23(i)	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/14046/96	दिनांक 05.05.1997	17.05.1997
विनियम 23(v)	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/3169	दिनांक 19.05.2001	16.06.2001
विनियम 23 (vi)		दिनांक 07.12.1987	26.12.1987
विनियम 23 (x)		दिनांक 07.12.1987	26.12.1987
विनियम 24(1)	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/14046/96	दिनांक 05.05.1997	17.05.1997
विनियम 25	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/14046/96	दिनांक 05.05.1997	17.05.1997
विनियम 35			
विनियम 36			
विनियम 41(4)	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/14046/96	दिनांक 05.05.1997	17.05.1997
विनियम 42(2)	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/3169	दिनांक 19.05.2001	16.06.2001
विनियम 46(2)	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/14046/96	दिनांक 05.05.1997	17.05.1997
विनियम 5	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/853	दिनांक 11.02.2003	15.03.2003
विनियम 5	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/5207/2007	दिनांक 30.5.2008	05.06.2008

#### **BANK OF MAHARASHTRA**

(HEAD OFFICE : PUNE)

#### NOTIFICATION

Pune, the 1st March, 2018

**F.No. AX-1/ST/OSR/1324/2017-18.**—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub section [2] of section 12 of the Banking Companies [Acquisition and Transfer of Undertakings] Act, 1970 [5 of 1970], the Board of Directors of the Bank of Maharashtra in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bank of Maharashtra [Officers'] Service Regulations, 1979, namely –

- 1. [1] These regulations may be called the Bank of Maharashtra [Officers'] Service [Amendment] Regulations, 2017.
  - [2] They shall be deemed to have come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, except as otherwise provided in these regulations.
- 2. In the Bank of Maharashtra [Officers'] Service Regulations, 1979 [hereinafter referred to as the said regulations], in regulation 3,
  - i. For clause [f], the following clause shall be substituted, namely -
    - '[f] "family" means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children [including step children and legally adopted children], physically challenged brother or sister with forty per cent, or more disability and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer'.

Explanation – For the purpose of this clause a child or parent or physically challenged brother or sister shall be deemed to be dependent on the officer if the monthly income of such child, parent, brother or sister does not exceed Rs.3500/- per month.

Provided that if the income of one of the parents exceeds Rs.3500/- per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs.3500/- per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.'

- ii. Clause [o] shall be omitted.
- 3. In regulation 4 of the said regulations
  - iii. Sub-regulation [4A] shall be omitted,
  - iv. After sub-regulation [4A] as so omitted, the following sub-regulations shall be inserted, namely -
    - "[5] With effect from the 1st November, 2007, the scales of pay specified against each grade shall be as under –
    - a. Top Executive Grade

```
Scale VII = Rs.46800 - 1300/4 - 52000
```

Scale VI = 
$$Rs.42000 - 1200/4 - 46800$$

b. Senior Management Grade

```
Scale V = Rs.36200 - 1000/2 - 38200 - 1100/2 - 40400
```

Scale IV = 
$$Rs.30600 - 900/4 - 34200 - 1000/2 - 36200$$

c. Middle Management Grade

```
Scale III = Rs.25700 - 800/5 - 29700 - 900/2 - 31500
```

Scale II = 
$$Rs.19400 - 700/1 - 20100 - 800/10 - 28100$$

d. Junior Management Grade

```
Scale I = Rs.14500 - 600/7 - 18700 - 700/2 - 20100 - 800/7 - 25700
```

Explanation – Every officer who is governed by the scales of pay in force as on the 31<sup>st</sup> October, 2007 shall be fitted in the scale of pay set out in this sub-regulation as on 1<sup>st</sup> November, 2007 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

- [6] Nothing in sub-regulations 1, 2, 3, 4 and 5 shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades."
- 4. In regulation 5 of the said regulations
  - a. For sub-regulation [1], the following sub-regulation, shall be substituted, namely
    - "[1] Subject to the provisions of sub-regulation [5] of regulation 4, on and from the 1<sup>st</sup> November, 2007, the increments shall be granted subject to the following, namely –
    - [a] the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation [5] of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.
    - [b] officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which first two shall be Rs.800/- each and next two Rs.900/-each –

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the second stagnation increment as on 1<sup>st</sup> November, 2007 shall get the third stagnation increment on 1<sup>st</sup> November, 2007 and another stagnation increment on or after the 1<sup>st</sup> November, 2008 on their completion of six years after receipt of second stagnation increment,

[c] officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.900/- each for every three completed years of service –

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the first stagnation increment as on the 1<sup>st</sup> November, 2007 shall get the next stagnation increment with effect from the 1<sup>st</sup> November, 2007 and a subsequent stagnation increment on or after the 1<sup>st</sup> November, 2008 on their completion of six years after receipt of the first stagnation increment –

Provided further the officers appointed to or promoted in substantive Middle Management Grade Scale III, shall be eligible for four stagnation increments of Rs.900/- each for every three completed years of service or :

Provided also that the officers who have already received two stagnation increments and completed more than three years of service after receipt of second stagnation increment as on the 1<sup>st</sup> November, 2007 shall get the third stagnation increment on the 1<sup>st</sup> November, 2007 and the fourth stagnation increment, on or after the 1<sup>st</sup> November, 2008 on completion of six years after receipt of second stagnation increment.

Explanation – Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.

- b. In sub-regulation [2]
  - i. In the Explanation, after clause [e] and before the Note, the following clause shall be inserted, namely –
     "[f] on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under –

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers	1] Rs.410/- per month one year after reaching maximum of the Scale
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	1] Rs.410/- per month after one year on reaching maximum of the Scale 2] Rs. 1030/- per month after two years on reaching maximum of the Scale

Provided that an Officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers [either or both parts] qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay —

Provided further that in a case where an officer, has already acquired any of the above qualifications and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he may be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1<sup>st</sup> November, 2007 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later."

ii. In the Note, for clause [V], the following clause shall be substituted, namely –

"[v] if an officer, as on the 27<sup>th</sup> April 2010 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause [iv] and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he shall be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007 or the date of acquiring such qualification, whichever is later."

- c. in sub-regulation (3),-
  - (iv) after clause (d) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely: -
    - "(e) on and from the 1st November, 2007, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

Increment Component Rs.	Dearness Allowance as on 01.11.2007 on the increment components Rs.	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided Rs.
A	В	С
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394"

- (v) in the Note, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely
  - "(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the Table under clauses (b), (c), (d) or (e) shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.
  - (ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (A) and (B) of the Table under clause (e) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4) or (5) of regulation 4 is earned.";
  - (iii) clause (e) occurring after the Note shall be renumbered as sub-clause (v) thereof and for clause (v) as so numbered, the following clause be substituted, namely –
  - "(v)An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d) or (e) above, one year after reaching the maximum of the scale";
- 5. In regulation 21 of the said regulations, -
  - (i) in sub-regulation (3), the Note shall be omitted;
  - (ii) in sub-regulation (4), the Note shall be omitted;
  - (iii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation and Note shall be inserted, namely -
  - "(5) On and from the day of November, 2007, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15% of Pay.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation –

- (a) "pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments;
- (b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d), (e) and (f) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance'.

- 6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations(1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely
  - "(1)on and from the day of November, 2002,
  - (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
  - (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:

SN	Where the place of work is in [1]	HRA payable shall be [2]
1	Major "A" Class cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
2	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
3	Other Places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

- (2) on and from the 1st day of November, 2007
  - a. where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.20 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
  - b. where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely: -

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities and Project Area Centres in GroupA	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.20 per cent of Pay in the first stage of the Scale of Pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) above.

Note. - The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.";

- 7. In regulation 23 of the said regulations,
- (j) in sub-regulation (1), for the figures, letters and words day of November 2002", the figures, letters and words 1st day of November 2007" shall be substituted;
- (vi) in sub-regulation (2), for the figures, letters and words day of November 2002, the figures, letters and words 1st day of November 2007" shall be substituted;
- (vii)for sub-regulations (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely -
  - "(3) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.290 per month or Rs.255 per month according to the classification of area as Group A or Group B.
  - (4) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.700 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1<sup>st</sup> day of May, 2010, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs.2300 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs. 1200 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month.";

- (viii) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely-
  - "(8) on and from the 1St day of November 2007, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.165 per month.";
- (v) in sub-regulation (10),-
  - (a) for the figures, letters and words 1St day of November 2002", the figures, letters and words 1st day of November, 2007" shall be substituted:
  - (b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely –

SN	Place [1]	Rate [2]
1	Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.550/- per month
2	Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2 ½ % of pay subject to a maximum of Rs. 680/-per month
3	Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs. 1570/-per month

- 8. In regulation 24 of the said regulations, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely
  - "(a) Medical Expenses.- On and from the 1st day of November 2007, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely –

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.5100/- or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.6320/- or the amount incurred whichever is less

#### Note -

- an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above or;
- (ii) for the year 2007, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2007 and December, 2007.

Explanation - for the purposes of this regulation,

- (i) hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100 per cent in the case of an officer and 75 per cent, in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization or;
- (ii) on and from the 1<sup>st</sup> day of May, 2010, reimbursement of hospitalisation expenses under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme as laid down under the Bipartite Settlement dated the 27thday of April, 2010 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely –

A] Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III	1] Bed Charges Self – Rs. 700/- per day Family – Rs.525/- per day 2] Other Charges At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalization Scheme applicable to workmen employees
B] Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII	1] Bed Charges Self – Rs. 900/- per day Family – Rs. 675/- per day 2] Other Charges At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalization Scheme applicable to workmen employees"

- 9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub- regulation shall be substituted, namely
  - "(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation(1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1St day of November, 2007, a sum equal to 1.20 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.25 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer."

- 10. In regulation 36 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub- regulation shall be inserted, namely
  - "(3) With effect from the 1st day of May 2010, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of 45 days."
- 11. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely
  - '(a) Halting Allowance On and from the 1st day of May, 2010, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below shall be entitled to 'per diem' Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely –

Grades / scales of officers	Major 'A' class cities	Area I	Other Places
[1]	[2]		
	Rs.	Rs.	Rs.
Officers in Scale IV and above	1000	800	700
Officers in Scale I / II / III	800	700	600

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz., Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs. 1200 and for officers in Scale I or II or III, the per diem Halting Allowance and shall be Rs. 1000.

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purpose of computing Halting allowance "per diem" shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, "per diem" shall mean a period of not less than eight hours.'

12. In regulation 42 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely –

"(4) On and from the first day of May 2010, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely -

Grade	Lump Sum Rs.
Top Executive and Senior Management	12000
Middle Management and Junior Management	9000

13. In regulation 44 of the said regulations, in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely –

"Provided that with effect from the 1st May 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC First Class fare by train for the distance travelled, whichever is less and the same rules shall apply to an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kms."

- 14. In regulation 45 of the said regulations, -
  - (i) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely -
  - "Provided that there shall be no Provident Fund to Officers joining the services of the Banks on or after the 1st day of April, 2010."
  - (ii) in sub-regulation (3), after clause (b) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely -
  - "(c) Officers who are covered under the Contributory Provident Fund Scheme who do not opt for Pension Scheme shall continue under the Contributory Provident Fund Scheme."
  - (iii) after sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be inserted, namely -
  - "(4) The officers joining the services of the Bank on or after the 1st day of April 2010 shall be covered by a Defined Contributory Pension Scheme, where the officer shall contribute ten per cent, of pay plus Dearness Allowance and the Bank shall make the similar amount of contribution in accordance with the provisions of the Contributory Pension Scheme in accordance with New Pension Scheme notified by the Central Government 'ide notification of the Government of India, F.No.5/7/2003-ECB & PR dated the 22nd December, 2003, as amended from time to time."
- 15. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely
  - "Schedule to Bank of Maharashtra (Officers') Service Regulations, 1979, (See sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2007, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely –

SN	Area	Allowances Rs.	
		Pay below Rs. 14700/-	Pay above Rs. 14700/-
1	2	3	4
1	Mizoram A] Chimptuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram	2000	2600
	B] Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram	1600	2100
	C] Throughout Aizawl District of Mizoram	1200	1500
2	Nagaland	1600	2100
3	Andaman and Nicobar Islands  A] North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	2000	2600
	B] South Andaman [including Port Blair]	1600	2100

SN	Area	Allowances Rs.	
		Pay below Rs. 14700/-	Pay above Rs. 14700/-
4	Sikkim	2000	2600
5	Lakshadweep Islands	2000	2600
6	Assam	320	400
7	Meghalaya		400
8	Tripura A] Difficult areas of Tripura	1600	2100
	B] Throughout Tripura except difficult areas	1200	1500
9	Manipur	1200	1500
10	Arunachal Pradesh A] Difficult areas of Arunachal Pradesh	2000	2600
	B] Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas	1600	2100
11	Jammu and Kashmir A] Kathua District Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	B] Udhampur District 1. Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2[b]	2000	2600
	2. Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre	1600	2100
	C] Doda District Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600
	D] Leh District All places in the District	2000	2600
	E] Barmulla District (i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqua	2000	2600
	(ii) Matchill	1600	2100
	F] Poonch and Rajouri District:  Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	1200	1500
	G] Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff	1200	1500
12	Himachal Pradesh  (a) Chamba District  (i) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats: Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	2000	2600
	(ii) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in item (i) above	1600	2100
	(iii)Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500
	(b) Kinnaur District: (i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/ Charang Panchayats, 15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	2000	2600
	(ii) Entire District other than Areas included in (a) above.	1600	2100

SN	Area	Allowances Rs.	
		Pay below Rs. 14700/-	Pay above Rs. 14700/-
	<ul><li>(c) Kullu District:</li><li>(i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga</li></ul>	2000	2600
	(ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	1200	1500
	(d) Lahaul and Spiti District: Entire area of Lahaul and Spiti		2600
	<ul><li>(e) Shimla District:</li><li>(i) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.</li></ul>	2000	2600
	(ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan.	1600	2100
	(iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	1200	1500
	<ul><li>(f) Kangra District:</li><li>(i) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal</li></ul>	1600	2100
	(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dan, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dan, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dan, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town — H.P. Krishi Vishwavidhalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.	1200	1500
	(g) Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil — Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil — Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura Kothi, Sen and Shoja.	1200	1500
	(h) Sirmaur District: Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), Bharog Bheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract	1200	1500
	(i) Solan District Mangal Panchayat	1200	1500
	(j) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (a) to (i) above.	320	400
13	Uttarakhand Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.	2000	2600"

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

M. A. KARAJAGI, Dy. General Manager, H.R.M. [ADVT.-III/4/Exty./463/17]

Foote Note :- The amendments carried out earlier in the above Regulations were published in the Gazette of Indi vide Notification Nos. With dates as below –

REGULATION NO.	NOTIFICATION NO. & DATE		DATE OF GAZETTEE
Regulation 4(3)	AX-1/ST/OSR/14046/96	Dated 05.05.1997	17.05.1997
Regulation 5	AX-1/ST/OSR/14046/96	Dated 05.05.1997	17.05.1997
Regulation 21(2)	AX-1/ST/OSR/14046/96	Dated 05.05.1997	17.05.1997
Regulation 22(1)	AX-1/ST/OSR/3169	Dated 19.05.2001	16.06.2001
Regulation 22(2)	AX-1/ST/OSR/3169	Dated 19.05.2001	16.06.2001
Regulation 23(i)	AX-1/ST/OSR/14046/96	Dated 05.05.1997	17.05.1997
Regulation 23(v)	AX-1/ST/OSR/3169	Dated 19.05.2001	16.06.2001
Regulation 23 (vi)		Dated 07.12.1987	26.12.1987
Regulation 23 (x)		Dated 07.12.1987	26.12.1987
Regulation 24(2)	AX-1/ST/OSR/14046/96	Dated 05.05.1997	17.05.1997
Regulation 25	AX-1/ST/OSR/14046/96	Dated 05.05.1997	17.05.1997
Regulation 35			
Regulation 36			
Regulation 41(4)	AX-1/ST/OSR/14046/96	Dated 05.05.1997	17.05.1997
Regulation 42(2)	AX-1/ST/OSR/3169	Dated 19.05.2001	16.06.2001
Regulation 46(2)	AX-1/ST/OSR/14046/96	Dated 05.05.1997	17.05.1997
Regulation 5	AX-1/ST/OSR/853	Dated 11.02.2003	15.03.2003
Regulation 5	AX-1/ST/OSR/5207/2007	Dated 30.5.2008	05.06.2008